

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(13)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 8/2/23

:: आदेश ::

निम्नांकित अभियोजकगण की उनके नाम के सम्मुख कॉलम सं04 में वर्णितानुसार सेवा अवधि में एतद्वारा वृद्धि की जाती है:-

| क्र.सं0 | नाम अभियोजक           | पद नाम   | सेवा वृद्धि  |
|---------|-----------------------|--|--|
| 1       | 2                     | 3  | 4  |
| 1       | श्री त्रिलोक चंद सेन  | अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं02, बहरोड जिला अलवर | दिनांक 01.08.22 से 31.07.23 तक भविष्य में सफलता प्रतिशत में वृद्धि किये जाने की चेतावनी के साथ |
| 2       | श्री सुनील कुमार सेनी | विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, दोसा                         | दिनांक 01.08.22 से 31.07.23 तक भविष्य में सफलता प्रतिशत में वृद्धि किये जाने की चेतावनी के साथ |
| 3       | श्री ताराचन्द गुर्जर  | अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सिकराय जिला दोसा     | दिनांक 01.01.23 से 31.12.23 तक   |

आज्ञा से


३०

(हिमांकनी गोड़)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

  
(हिमांकनी गोड़)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण